

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 72/2013

संस्थित दिनांक-15.02.2013

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मालनपुर
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

- पूर्व से निर्णित
1. धोरी पुत्र चन्दनसिंह जाटव उम्र 25 साल
निवासी ग्राम आतो थाना अमायन जिला भिण्ड
 2. अजबसिंह पुत्र पदमसिंह कोरी उम्र 32 साल
निवासी ग्राम खरगापुर थाना नूराबाद
जिला मुरैना म0प्र0

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 22.03.18 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 380 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 11.01.13 को करीब 10 बजे सूर्या रोशनी लिमिटेड हाई मास्ट डिवोजल फैक्ट्री मालनपुर में से फरियादी जगवीरसिंह के आधिपत्य के कॉपर कोल दस नग और प्लास्टिक (इलेक्ट्रिक) केवल 5 गुच्छी को अवैध रूप से ले जाकर चोरी कारित की।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अभियुक्त अजबसिंह के संबंध में दिनांक 06.07.15 को पूर्व में ही निर्णय घोषित किया जा चुका है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी जगवीर जाट ने दि0 11.01.13 को 11:45 बजे पुलिस थाना मालनपुर में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की कि वह सूर्या रोशनी लिमिटेड में सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। दिनांक 11.01.13 को करीब दस बजे वह सिक्योरिटी सुपरवाइजर भूपालसिंह और सुरक्षा गार्ड पूरनसिंह के साथ फैक्ट्री ड्यूटी पर था उस समय पाईप मील के अंदर अभियुक्तगण कॉपर कॉल एवं प्लास्टिक केबिल काटकर अपने थैले में रख रहे थे जिन्हें फरियादी एवं पूरन तथा भूपालसिंह ने पकड़ा और थैले में रखने के संबंध में पूछा तो अभियुक्तगण ने फैक्ट्री में से चोरी करने की बात स्वीकार की तब उसे थाने लाकर चोरी का सामान सहित प्रस्तुत किया। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क्र0 8/13 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शा मौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर0 कर गिर0 पत्र बनाए गए, मेमोरेण्डम लिए गए एवं जब्ती पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ़्तर की धारा 313 के अधीन अभियुक्त द्वारा उनके निर्दोष होने एवं रजिशन झूठा फंसाये जाने का बचाव लिया है।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं क्या अभियुक्त ने दिनांक 11.01.13 को करीब 10 बजे सूर्या रोशनी लिमिटेड हाई मास्ट डिवोजल फैक्ट्री मालनपुर में से फरियादी जगवीरसिंह के आधिपत्य के कॉपर कोल दस नग और प्लास्टिक (इलेक्ट्रिक) केवल 5 गुच्छी को अवैध रूप से ले जाकर चोरी कारित की ?

--: सकारण निष्कर्ष :-

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में जगवीरसिंह अ0सा0 1, अनिलसिंह चौहान अ0सा0 2, पूरनसिंह अ0सा0 3, भूपालसिंह राजपूत अ0सा0 4, आशाराम गौड अ0सा0 5, आरक्षक दिलीप सविता अ0सा0 6 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गयी है।

7. फरियादी जगवीरसिंह अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि वे सूर्या रोशनी फैक्ट्री में सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम करते हैं। अभियुक्तगण को जानते हैं, जो उक्त फैक्ट्री में वर्कर के रूप में कार्यरत थे। उनकी फैक्ट्री में पाईप का निर्माण होता है जिसके अंदर कॉपर की बेल्टिंग कोइल का इस्तेमाल होता है। जब बाद में खत्म हो जाती है तो कोइल बच जाती है तो इन कॉपर कोइल को अभियुक्तगण अजबसिंह एवं घोरी जाटव चोरी करके थैले में रख रहे थे। कई दिन से फैक्ट्री में चोरी होने का अंदेशा लग रहा था इस वजह से वे नजर रख रहे थे। उन्होंने सिक्योरिटी सुपरवाइजर भूपाल तथा पूरनसिंह ने मिलकर इनको पकड़ा था और पुलिस स्टेशन ले गए थे वहां पर सामान पुलिस ने ले लिया था। उनके साथ वहां पर अनिल चौहान भी थे। थाना मालनपुर में उन्होंने प्र0पी0 1 की रिपोर्ट की थी जिसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर किए जाने का कथन करते हैं। अनिलसिंह अ0सा0 2 कथन करते हैं कि उक्त फैक्ट्री में वे सिक्योरिटी सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत थे। जनवरी महीने के दोपहर की बात है, अभियुक्तगण जो मजदूर थैला लेकर आते हैं जिसमें कपड़े और खाना रखा जाता है, उन थैलों में रखा सामान सूर्या फैक्ट्री में लॉकर्स होते हैं। अभियुक्तगण से लोहे के पाईप को बेल्ट करने वाला कॉपर हीटर व वायर बरामद किया था जो करीब 25-30 टुकड़े बरामद किए थे जो कि ढेर के रूप में थे। यह भी बताते हैं कि कथित लॉकर के पीछे जो स्क्रेप (कबाड़ा) पड़ा रहता है, वहां से मिले थे। साक्षी कथन करते हैं कि सिक्योरिटी अधिकारी जगवीरसिंह, मुरारी तोमर और स्वयं के सामने अभियुक्तगण ने चोरी का सामान रखे होने की बात बताई थी, उसके बाद पुलिस को सूचना दी थी। इस प्रकार से साक्षी फरियादी के कथनों का समर्थन करते हैं।

8. घटना के साक्षी पूरनसिंह अ0सा0 3 व भूपालसिंह अ0सा0 4 बताए गए हैं। पूरनसिंह कथन करते हैं कि 11 जनवरी 2013 को वे सूर्या फ़ैक्ट्री में सिक्थोरिटी गार्ड के रूप में पदस्थ थे, दोपहर ढाई बजे भूपालसिंह ने कहाकि कुछ लोग एल्युमिनियम का तार काट रहे हैं और चलकर देखने को कहा और प्लांट के अंदर जाकर देखा तो एक थैले में 10-11 टुकड़े तार के रखे मिले। अभियुक्तगण से टुकड़ों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाकि ये टुकड़े मिले हैं। भूपालसिंह ने थैले में देखा और दोनों आरोपियों व थैले को लेकर गेट पर आ गए थे तथा सिक्थोरिटी आफ़ीसर जगवीरसिंह के हवाले कर दिया। इस प्रकार से साक्षी भूपालसिंह द्वारा अभियुक्तगण को चोरी करते हुए देखने का कथन करते हैं। प्रतिपरीक्षण में कण्डिका 3 में स्वीकार करते हैं कि तार के टुकड़े थैले में उनके सामने नहीं रखे। यह भी कथन करते हैं कि उन्होंने तार को काटते हुए एवं चोरी करते हुए नहीं देखा। यह भी स्वीकार करते हैं कि स्वयं उसने, उसके अधिकारी भूपालसिंह ने चोरी करते हुए आरोपीगण को नहीं देखा। भूपालसिंह अ0सा0 4 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि 11 जनवरी 2013 को वे एवं पूरनसिंह सिक्थोरिटी गार्ड फ़ैक्ट्री में राउण्ड पर थे। राउण्ड के दौरान प्लांट के अंदर उन्होंने आरोपीगण के पास एक थैले में तांबे के 10-11 टुकड़े रखे हुए देखे थे। थैले उन्होंने इसलिए देखे थे कि उन्हें सामान चोरी होने का संदेह था। इस घटना की रिपोर्ट उन्होंने सिक्थोरिटी आफ़ीसर को की थी। आरोपीगण एवं सामान को जगवीरसिंह के पास पहुंचाया, उन्होंने सामान थाने पर जमा कर दिया। अंत में कथन करते हैं कि उन्हें संदेह है कि आरोपीगण सामान चोरी करके ले जा रहे थे। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि थैला अलग रखा हुआ था और आरोपीगण अपने काम में लगे हुए थे। यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने आरोपीगण को चोरी करते हुए एवं थैले में रखते हुए नहीं देखा। कण्डिका 5 में स्वीकार करते हैं कि आरोपीगण ने उनके सामने चोरी नहीं की है।

9. इस प्रकार से पूरनसिंह अ0सा0 3 एवं भूपालसिंह अ0सा0 4 जो अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण को स्वयं चोरी करते हुए देखने और कथित चोरी के संबंध में चुराई हुई संपत्ति को थैले में रखते हुए न देखने का कथन करते हैं। घटना का चक्षुदर्शी साक्षी भूपालसिंह बताया गया है जो कण्डिका 3 में स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि अभियुक्तगण का थैला अलग रखा हुआ था और वे अपने काम में लगे हुए थे। ऐसे में अभियुक्तगण द्वारा उक्त सामान अपने थैले में रखा हो, इस संबंध में भी कोई सारवान साक्ष्य नहीं हैं। जगवीरसिंह अ0सा0 1 जो सिक्थोरिटी आफ़ीसर हैं, वे अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा चोरी करके कॉपर कोइल थैले में रखने का कथन करते हैं, जबकि पूरन अ0सा0 3 एवं भूपाल अ0सा0 4 के कथनों में यह स्पष्ट हुआ है कि उक्त दोनों अभियुक्तगण को फ़ैक्ट्री के अंदर से लाकर सिक्थोरिटी आफ़ीसर जगवीरसिंह के हवाले किया था। ऐसी दशा में अभियुक्तगण को स्वयं जगवीरसिंह ने कथित चोरी करते हुए देखा हो, इस संबंध में विश्वसनीय कथन मौजूद नहीं हैं, बल्कि उक्त साक्षियों के कथन में विरोधाभास है।

10. प्रकरण में अनिलसिंह चौहान अ0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण के पास से 25-30 टुकड़े कॉपर हीटिंग कोइल व वायर के बरामद किए जाने का कथन करते हैं। मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि सिक्योरिटी आफिसर जगवीरसिंह, वह स्वयं, मुरारी तोमर तथा सुपरवाईजर जिसके अधीन अभियुक्तगण काम करते थे, उक्त सुपरवाईजर जीतू उस समय थे, जबकि पूरन अ0सा0 3 एवं भूपाल अ0सा0 4 की उपस्थिति के संबंध में जगवीरसिंह अ0सा0 1 कथन करते हैं। स्वयं फरियादी जगवीरसिंह अभियुक्तगण को थाने ले जाने पर पुलिस द्वारा सामान ले लिए जाने और उनके साथ अनिल चौहान होने का कथन करते हैं। ऐसे में अभियुक्तगण को अनिल चौहान के सामने चोरी करते हुए पकड़ा गया हो, इस संबंध में विरोधाभासी तथ्य अभिलेख पर हैं।

11. प्रकरण में आशाराम गौड़ अ0सा0 5 अनुसंधानकर्ता एवं प्राथमिकी लेखक है। अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि फरियादी जगवीरसिंह द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध 11 कॉपर कोइल एवं प्लास्टिक की गुच्छी 5 नग चोरी के संबंध में रिपोर्ट लिखाई थी जो उन्होंने लेख की थी। रिपोर्ट प्र0पी0 1 बताकर उस पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए जाने, नक्शामौका बनाए जाने का कथन करते हुए, तत्पश्चात् अभियुक्त घोरी को गिर0 कर गिर0 पंचनामा प्रपी0 3 बनाए जाने का कथन करते हैं। तत्पश्चात् अभियुक्त से धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम लिए जाने जिसमें अभियुक्त द्वारा 11 नग कॉपर कोइल व 5 नग प्लास्टिक के चोरी करने का तथ्य स्वीकार किया था जिसमें 11 नग उसे मिलने का कथन करते हुए जानकारी दी थी, तत्पश्चात् अभियुक्त से प्र0पी0 7 के मेमोरेण्डम के अनुसार 11 नग कॉपर कोइल प्र0पी0 4 के जब्ती पत्रक के अनुसार जब्त किए जाने का कथन करते हुए उन पर भी बी से बी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। प्रपी0 1 की प्राथमिकी में अभियुक्तगण के साथ फरियादी जगवीर अ0सा0 1 के थाना पर मय संपत्ति उपस्थित होने का तथ्य लेख है। स्वयं आशाराम अ0सा0 5 स्वीकार करते हैं कि फरियादी माल और मुल्जिम लेकर रिपोर्ट करने आया था। यह भी स्वीकार करते हैं कि प्लास्टिक की गुच्छी और कॉपर कोइल के 11 नग फरियादी स्वयं आरोपी के साथ लेकर आया था। ऐसी दशा में अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम लिए जाने और तत्पश्चात् कथित मेमोरेण्डम प्र0पी0 7 व 8 के आधार पर जब्तीकर जब्ती पत्रक प्र0पी0 4 व 6 तैयार किए जाने की कार्यवाही विधिसम्मत न होकर संदेहपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न करती है।

12. प्रकरण में यह स्थिति स्पष्ट है कि अभियुक्त को किसी भी व्यक्ति ने कथित कॉपर कोइल चोरी करते हुए नहीं देखा। जहां तक अभियुक्त से कथित जब्ती का प्रश्न है तो स्वयं फरियादी उक्त संपत्ति लेकर आरक्षी केन्द्र पर उपस्थित हुआ था। प्रकरण में जहां स्वयं साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है। जगवीरसिंह 25-30 कॉपर कोइल के टुकड़े चोरी किए जाने के संबंध में कथन करते हैं। प्रतिपरीक्षण में 20-25 टुकड़े चोरी होने की बात एफआईआर में लिखाए जाने का कथन करते हैं।

साथ ही प्र०डी० 1 के कथन में 20-25 नग चोरी की बात लिखाए जाने का कथन करते हैं, जबकि 20-25 नग चोरी की बात उक्त दोनो प्र०पी० 1 व प्र०डी० 1 के दस्तावेजों में नहीं हैं। अनिलसिंह अ०सा० 2 भी 25-30 टुकड़े चोरी होने की बात बताते हैं। उक्त साक्षी जब्ती साक्षी हैं जिनका कथन महत्वपूर्ण हैं। स्वयं विवेचनाकर्ता आशाराम अ०सा० 5 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त धोरी से 11 नग कॉपर कोल जब्त होने का कथन करते हैं वहां उक्त दोनों के कथनों में विरोधाभास है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आशाराम अ०सा० 5 अभियुक्त धोरी से कथित 11 नग कॉपर कोल जब्त होने का समय प्र०पी० 4 के जब्ती पत्रक में 12:20 बजे का उल्लेखित करते हैं, जबकि जब्ती साक्षी अनिलसिंह अ०सा० 2 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में 3 बजे के लगभग जब्ती कार्यवाही होने का कथन करते हैं। अन्य जब्ती साक्षी दिलीप सविता अ०सा० 6 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में अभियुक्तगण को 9-10 बजे गिरफ्तार किए जाने और उस समय उनके पास कोई भी चोरी का सामान न होने का कथन करते हैं। साथ ही अभियुक्त धोरी द्वारा अपने मेमोरेण्डम में चोरी का सामान उसके हिस्से का सूर्या फैक्ट्री में रखे होने की बात बताए जाने का कथन करते हैं, जबकि अभियुक्तगण से जब्ती थाने पर होने का तथ्य इसी कण्डिका में बताते हैं। ऐसे में कथित रूप से अभियुक्त से जब्ती के संबंध में विरोधाभासी साक्ष्य अभिलेख पर है।

13. जहां प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा कथित कॉपर कोल चोरी करते हुए देखने का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं वहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सुसंगत श्रृंखला को पूर्ण करने हेतु अभियोजन की साक्ष्य परस्पर विरोधाभासी है। आशाराम अ०सा० 5 जो कि फरियादी के द्वारा कथित कॉपर कोल व 5 नग वायर थाने पर लाने का कथन करते हैं। साथ ही जब्ती साक्षियों के द्वारा परस्पर विरोधाभासी कथन किया गया है। दिलीप अ०सा० 6 महत्वपूर्ण साक्षी है जो कि स्वयं ही प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में बताता है कि अभियुक्तगण ने स्वयं बताया था कि चोरी का सामान कहां पर रखा है और फिर पुलिस वालों ने उस जगह जाकर चोरी का सामान जब्त किया था। स्वयं दिलीप प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में अभियुक्तगण द्वारा सूर्या फैक्ट्री में चोरी का सामान रखे होने का कथन करते हैं। इस प्रकार से साक्षियों के मध्य परस्पर विरोधाभासी कथन अभिलेख पर है। प्रकरण में यह भी ध्यान देने योग्य है कि कथित थैला जिसमें चोरी का सामान रखे जाने के संबंध में साक्षियों का कथन किया गया है, उक्त थैले में अन्य क्या सामान था और उक्त सामान को क्यों जब्त नहीं किया गया, यह महत्वपूर्ण हैं। जब्ती पत्रकों पर कोई भी नमूना सील अंकित नहीं किया गया है जो कि संदिग्ध परिस्थिति उत्पन्न करता है।

14. अभियुक्तगण ने फैक्ट्री में मजदूरों की मांगों के लिए शिकायत करने पर अभियुक्तगण को रंजिशन अपराध में लिप्त किए जाने के संबंध में बचाव लिया है। ऐसी दशा में जहां अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सुसंगत श्रृंखला से मामला संदिग्ध दर्शित हो रहा है, वहां

अभियुक्तगण के द्वारा लिया गया बचाव महत्वपूर्ण हो जाता है। दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत **बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। “सत्य हो सकता है” और “सत्य होना चाहिए” के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

15. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य तो प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 11.01.13 को करीब 10 बजे सूर्या रोशनी लिमिटेड हाई मास्ट डिबोजल फ़ैक्ट्री मालनपुर में से फरियादी जगवीरसिंह के आधिपत्य के कॉपर कोल दस नग और प्लास्टिक (इलेक्ट्रिक) केवल 5 गुच्छी को अवैध रूप से ले जाकर चोरी कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 380 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

17. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति 11 नग कॉपर कोल टुकड़े एवं 5 प्लास्टिक गुच्छी तार किसी पक्ष द्वारा दावाकृत नहीं, अतः अपील अवधि पश्चात् नष्ट कर व्ययनित किए जाए। अपील की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

18. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश